न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी जसवन्त सिंह, आर.ए.एस.

अपील संख्या 30/2017 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2017/ 00035)

1. कर्म सिह पुत्र हरनेक सिह जाति जट सिख साकिन रामूवाला तहसील जेतो जिला फरीदकोट पंजाब (मृतक)
   1/1 मुखत्यार कौर बैवा कर्म सिंह
   1/2 सरजीत सिह पुत्र कर्म सिह
   1/3 जंग सिह पुत्र कर्म सिह
   | जाति जटसिख साकिन रामूवाला तहसील जेतो जिला फरीदकोट पंजाब।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. सुखमन्दर सिह उर्फ मन्दर सिह (मृतक)
   1/1 जसविन्द्र कौर बैवा सुखमन्दर सिह
   1/2 हरिन्द्र सिह पुत्र सुखमन्दर सिह
   1/3 राजेन्द्र सिह पुत्र सुखमन्दर सिह
   1/4 रीना पुत्री सुखमन्दर सिह
   | जाति जटसिख साकिन रामूवाला तहसील जेतो जिला फरीदकोट पंजाब।
2. देव सिह
3. नायब सिह
   | पिसरान हरनेक सिह जाति जटसिख साकिन रामूवाला तहसील जेतो जिला फरीदकोट पंजाब।
4. जसवीर सिह
5. अग्रेजं सिंह
   | पिसरान मेजर सिह जाति जट सिख साकिन रामूवाला तहसील जेतो जिला फरीदकोट पंजाब।
6. भजन कौर पत्नि कपूर सिह जाति जटसिंख साकिन कोटराम तहसील व जिला भटिण्डा।
7. गुड्डी कौर पत्नि सुखदेव सिह जाति जटसिख साकिन सुरू तहसील व जिला मुक्तसर पंजाब।
8. भोलो पत्नि राजा सिह जाति जट सिख साकिन ढेप्पी तहसील जेतो जिला फरीदकोट पंजाब।
9. ग्राम पंचायत बहलोल नगर जरिये सरपंच

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः
1. श्री विजय कुमार पारीक – अभिभाषक अपीलान्ट्स
2. श्री राजकुमार व्यास –अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 2 ता 6
3. श्री अनिल सिह खिचड़ – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 6, 8

निर्णय **दिनांकः 28.04.2025**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अपर जिला कलक्टर, हनुमानगढ के अपील सं. 35/2015 निर्णय दिनांक 30.03.2016 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट कर्मसिह ने अधीनस्थ अपर जिला कलक्टर, हनुमानगढ में चक 44 एसएसडब्ल्यू ग्राम पंचायत बहलोलनगर के नामान्तरण संख्या 280 दिनांक

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

05.12.2011 के विरूद्व अपील प्रस्तुत कर उक्त नामान्तरण को निरस्त कर मलसिह व श्री हरनेक की पंजीकृत वसीयतो के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने का निवेदन किया। जिस पर अपर जिला कलक्टर, हनुमानगढ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30.03.2016 द्वारा अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज कर दी। निर्णय दिनांक 30.03.2016 के विरूद्व अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.03.2016 व इन्तकाल सं. 280 दिनांक 05.12.2011 को निरस्त कर वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया । रेस्पोडेन्ट सं 1/1 ता 1/4 एवं 7 के निमित रजिस्ट्र्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद उपस्थित नही हुवे। इनके विरूद्व एक तरफा (Ex party) कार्यवाही अमल में लाई गई।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि ग्राम पंचायत बहलोलनगर ने अपीलान्ट को अपीलकृत इन्तकाल स्वीकृत करने से पूर्व कोई सूचना नोटिस नही दिया गया व न ही अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 के पक्ष मे श्री मल सिह व हरनेक सिंह के द्वारा अपने हक व हिस्सा की भूमि की वसीयत पूर्व में ही पंजीकृत करवाई गई है जिसका ज्ञान शुरू से अपीलान्ट व हरनेक सिह के परिवार के सदस्य को रहा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 8 व अपीलान्ट की माता श्री भगवानकौर ने अपीलान्ट से छल कपट कर वसीयत को छिपाकर तहसीलदार जैतो पंजाब से मल सिह व हरनेक सिह का वारिस प्रमाण पत्र स्वय के पक्ष में प्राप्त किया। भगवान कौर व अपीलान्ट की बहनो ने उप पंजीयक डबलीराठान से दिनांक 19.05.2011 को त्याग पत्र निष्पादित करवाकर अपने हिस्सा की भूमि को जरिये त्याग पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 के पक्ष त्याग किया। अपीलान्ट की माता व बहनो को जरिये त्याग पत्र किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष मे हक त्याग करने का कोई अधिकार ही प्राप्त नही था। इस प्रकार अपीलकृत इन्तकाल विधिक सुस्थापित सिद्वान्तो व हिन्दू

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

उत्तराधिकार अधिनियम व वसीयती उत्तराधिकार की स्थिति से पूर्णतया विपरित होने की स्थिति में यह नामान्तरकरण निरस्त योग्य है। अपीलान्ट ने अपने वसीयती अधिकारो की धोषणा के लिए सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ में एक वाद भी प्रस्तुत किया हुआ है। इसी भूमि बाबत सक्षम न्यायालय में दावा जैरकार था एवं अस्थाई निषेधाज्ञा पूर्व से पारित होते हुए एवं सभी पक्षो को जानकारी होते हुए जो नामान्तरकरण दर्ज किया गया था वह अवैध था। वसीयत कर्ता के देहान्त के पश्चात वसीयत उसी समय लागू हो गई इस कारण इसके पश्चात रिलीज डीड का दस्तावेज शून्य था उसके आधार पर कोई नामान्तरकरण दर्ज नही किया जा सकता था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपील को केवल मात्र मियाद के बिन्दू पर खारिज की है जो गलत है क्योकि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा अपने निर्णय मे यह आदेश दिये है कि मियाद के साथ तथ्यो का भी देखा जाना आवश्यक है। जहा पर मामला मेरिट पर मजबूत हो वहा पर मियाद का बिन्दू गौण है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर, हनुमानगढ का निर्णय दिनांक 30.03.2016 एवं इन्तकाल संख्या 280 दिनांक 05.12.2011 निरस्त फरमावे व वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज करने का आदेश फरमावे। अपीलान्ट के अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में RRD 2005 पृष्ठ 42, RRD 1998 पृष्ठ 319, RRD 1981 पृष्ठ 292, RRD 2016 पृष्ठ 28, RRD 1999 पृष्ठ 173, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 6 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ में इन्तकाल संख्या 280 दिनांक 05.12.2011 के विरुद्व दिनांक 04.06.2015 को अपील प्रस्तुत की जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद के बिन्दू पर अपील को खारिज कर दिया जो सही है, क्योकि अपीलान्ट ने उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ में वर्ष 2012 में एक वाद प्रस्तुत किया। अपीलान्ट को उस समय इन्तकाल होने की जानकारी थी । अपीलान्ट ने अपने धारा 5 के प्रार्थना पत्र में गलत तथ्य अंकित किये है। इन्तकाल की कार्यवाही एक फिस्कल प्रोसिडिंग है जिसमे अधिकार तैय नही किये जा सकते है। अधीनस्थ

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 6 व 8 के विद्वान अभिभाषक ने लिखित बहस पेश कर अंकित किया कि हस्तगत अपील अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 30.03.2016 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। प्रथम अपील न्यायालय ने गुणा अवगुण पर अपील का निर्णय नही किया गया है सिर्फ प्रथम अपील को मियाद बाहर मानते हुए खारिज की गई है, हस्तगत अपील इस न्यायालय में मियाद के विरूद्व की गई है। धारा 5 मियाद अधिनियम में पारित निर्णय के विरूद्व अपील पेश नही होती है। अतः धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज करने का आदेश अपीलेबल आर्डर नही है। इस न्यायालय मे धारा 5 मियाद अधिनियम के विरूद्व पारित निर्णय की अपील न होने से अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार नही है। अतः इस अपील को सक्षम न्यायालय मे पेश करने हेतु लौटाई जावे।

7. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ विश्लेषण किया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 30.03.2016 व इंतकाल संख्या 280 दिनांक 05.12.2011 से व्यथित होकर उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.03.2016 व इंतकाल संख्या 280 दिनांक 05.12.2011 को निरस्त कर वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज करने का अर्ज किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा केवल मियाद बिन्दु पर निर्णय पारित करते हुए अपील को मियाद बाहर होने से खारिज कर दिया, जबकि अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण में मियाद के साथ गुणावगुण पर भी निर्णय पारित करना चाहिए था। इस प्रकार अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ के अपीलाधीन निर्णय 30.03.2016 को कायम रखा जाना उचित प्रतीत नही होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर की अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुवे अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.03.2016 को अपास्त किया जाता है। तथा प्रकरण

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि प्रकरण में उभय पक्ष को सुनकर, गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 28.04.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जसवन्त सिंह)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर